न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 25/ 2018 जिला सीकर

सिणगारी पत्नी स्व. श्री रामनिवास, जाति जाट, निवासी–भिखणवासी, तहसील धोद, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. मंजू देवी पत्नी स्व. जैसराज, जाति जाट, पुनर्विवाहित पत्नी श्री सुल्तान सिंह, निवासनी वार्ड संख्या 26, रोडवेज बस डिपों के दक्षिण में, शान्ति नगर, सीकर , हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता आर.जी.जी.वी.आई. अ.वि.वि.नि. लि. सीकर (राजस्थान)
2. पूजा पुत्री स्व. श्री जैसाराज जरिये प्राकृतिक माता मन्जू देवी निवासी– वार्ड संख्या 26, रोडवेज बस डिपों के दक्षिण में, शान्ति नगर, सीकर (राजस्थान)
3. तहसीलदार धोद पदेन उप पंजीयक धोद, जिला सीकर

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
दिनांक 28.3.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हर लाल सिंह
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अखिलेश कुमार सैनी

निर्णय

दिनांक– 28.11.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 28.3.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम भिखणवासी, तहसील धोद, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 38 से 41, 168, 179, 186, 194 से 198 कुल किता 12 कुल रकबा 23.39 हिस्सा 1/40 का खातेदार अपीलान्ट सिणगारी पत्नी स्व. रामनिवास का पुत्र जैसराज था । खातेदार जैसराज के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 285 पटवारी हल्का द्वारा मन्जू देवी पत्नी जैसराज एवं पूजा पुत्री जैसराज हिस्सा 1/40 के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत बाडलवास द्वारा दिनांक 5.6.2013 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 285 दिनांक 5.6.2013 से व्यथित होकर मृतक खातेदार जैसराज की माता अपीलान्ट सिणगारी पत्नी रामनिवास द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद के समक्ष मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 4.4.2016 को प्रस्तुत की । उप खण्ड अधिकारी धोद ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2018 द्वारा वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी तथा खातेदारी होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति की

मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामांतरकरण उसकी पत्नि व पुत्र तथा पुत्रियों के नाम होता है, इसलिये जैसराज के भी जायन्दा पुत्री व उसकी स्वयं की पत्नि के जीवित होने के कारण उसके द्वारा वसियत करवाने का कोई औचित्य नहीं होने तथा भूमियॉ स्व. जैसराज के खुद काश्त की कृषि भूमि थी । जैसराज के पिता स्व. रामनिवास की मृत्यु के बाद रामनिवास की विरासत का नामांतरकरण उसकी पत्नि सिणगारी, पुत्र जैसराज, पुत्र रतन लाल, पुत्र त्यारे लाल तथा पुत्री तारा के नाम से भरा जाना सिद्ध होने से रामनिवास की भूमि में से सिणगारी को पहले ही उसके हिस्से की भूमि प्राप्त होने से अपीलान्ट सिणगारी अपने पुत्र स्व. जैसराज की भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । स्व. जैसराज की फुटस्टेप पर उसकी पत्नि व उसकी जायन्दा पुत्री को लिया गया है तथा वे ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके प्रथम श्रेणी की वारिस होने से अपील अपीलान्ट खारिज की है ।

उप खण्ड अधिकारी धोद के उक्त निर्णय दिनांक 28.3.2018 के खिलाफ अपीलान्ट सिणगारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी धोद दिनांक 28.3.2018 निरस्त करते हुये अपीलार्थी के नाम विधि अनुसार जैसराज के हिस्से का नामांतरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी मृतक खातेदार जैसराज की माता होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है , लेकिन जैसराज की विरासत के नामांतरकरण में अपीलार्थी को छोडने में ग्रम पंचायत ने विधिक त्रुटी की है । प्रश्नगत नामांतरकरण 285 तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुचना नहीं दी तथा मनमाने तरीके से नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार जैसराज की पत्नि मन्जू देवी ने ग्रम घरणिया बडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर के सुल्तान सिंह पुत्र रामचन्द्र सारण से पुनर्विवाह कर लिया था इसलिये उसे पूर्व पति की सम्पत्ति में कानूनन कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हिन्दु विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो उसे उसके पूर्व मृत पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते । उनका कहना था कि मृतक जैसराज की पत्नि मंजू देवी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने की स्थिति में उसके पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक नहीं हो सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्पूर्ण तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये अपीलार्थी के जायज अधिकारों को समाप्त करने की दृष्टि से अपीलाधीन आदेश द्वारा अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार जैसराज था जिसकी मृत्यु पर विरासत का प्रश्नगत

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामांतरकरण मृतक जैसराज की जायन्दा पत्नि मन्जू देवी एवं पुत्री पूजा के नाम हिन्दु उत्राधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि मृतक जैसराज के पिता रामनिवास के फौत होने पर उनकी विरासत का नामांतरकरण उनकी पत्नि के रूप में श्रीमती सिणगारी अपीलान्ट तथा उनके तीन जायन्दा पुत्रों व एक जायन्दा पुत्री के नाम तस्दीक हुआ था । मृतक रामनिवास की विरासत के नामांतरकरण में रामनिवास की माता का नाम भी नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट सिणगारी को उसके पति रामनिवास की विरासत के नामांतरकरण के जरिये विवादित भूमि में से हिस्सा प्राप्त होने के कारण अपीलान्ट सिणगारी की अपील अपीलधीन आदेश द्वारा खारिज की है , जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 1968 पेज 139 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार जैसराज की विरासत के नामांतरकरण का है । विवादित भूमि के मृतक खातेदार जैसराज की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा मृतक की पत्नि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मन्जू देवी व पुत्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 पूजा के नाम तस्दीक किया है । अपीलान्ट सिणगारी मृतक जैसराज की माता होने के आधार पर जैसराज की भूमि में जरिये नामांतरकरण हिस्सा चाहती है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट सिणगारी की अपील वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी तथा खातेदारी होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामांतरकरण उसकी पत्नि व पुत्र तथा पुत्रियों के नाम होता है, इसलिये जैसराज के भी जायन्दा पुत्री व स्वयं की पत्नि के जीवित होने के कारण उसके द्वारा वसियत करवाने का कोई औचित्य नहीं होने तथा भूमियॉ स्व. जैसराज के खुद काश्त की कृषि भूमि थी । जैसराज के पिता स्व. रामनिवास की मृत्यु के बाद उसकी कृषि भूमियों का विरासत का नामांतरकरण उसकी पत्नि सिणगारी पुत्र जैसराज , पुत्र रतन लाल, पुत्र त्यारे लाल तथा पुत्री तारा के नाम से भरा जाना सिद्ध होने से रामनिवास की भूमि में से सिणगारी को पहले ही उसके हिस्से की भूमि प्राप्त होने से अपीलान्ट सिणगारी अपने पुत्र स्व. जेसराज की भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । स्व. जैसराज की फुटस्टेप पर उसकी पत्नि व उसकी जायन्दा पुत्री को लिया गया है तथा वे ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके प्रथम श्रेणी की वारिस होने से अपील अपीलान्ट खारिज की है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार जैसराज के पिता स्व. रामनिवास की मृत्यु के बाद स्व. रामनिवास की विरासत का नामांतरकरण स्व. रामनिवास की पत्नि अपीलान्ट सिणगारी , पुत्र जैसराज, पुत्र रतन लाल, पुत्र प्यारे लाल तथा पुत्री तारा के नाम होने से स्व. रामनिवास की भूमि में अपीलान्ट सिणगारी को पहले ही हिस्सा प्राप्त होने के कारण अपीलान्ट सिणगारी अब उसके पुत्र जैसराज की भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2018 द्वारा अपीलान्ट

सिणगारी की अपील खारिज की है , जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर